सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन, 1932 शकाब्द

संख्या 149

राँची, बुधवार 23 फरवरी, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

21 फरवरी, 2011

संख्या एल०जी०–01/2001–14/लेज०–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 21. जनवरी, 2011 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2010

[झारखण्ड अधिनियम 02, 2011]

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 को संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. **झारखण्ड अधिनियम 9, 2001 की धारा 4 का संशोधन––** झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा–4 में निम्नांकित परन्तुक को निवेशित किया जायेगा, अर्थात् :–

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रवृत्त होने की तिथि और 31वीं मार्च, 2011 को समाप्त होने के बीच की अवधि में इस धारा के प्रावधान इस परिमार्जन के शर्त्ताधीन लागू होंगे कि वाक्यांश ''एक सौ पचास करोड़ रूपये'' को वाक्यांश '' सात सौ पचास करोड़ रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. **निरसन एवं व्यावृत्ति :–**

(i) निरसन :– झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (झारखण्ड अध्यादेश सं०–2, 2010) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) व्यावृत्ति :–ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था अथवा कार्रवाई की गई थी ।

अधिसूचना

21 फरवरी, 2011

संख्या एल०जी०–01/2000–15/लेज०–झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 फरवरी 21 जनवरी, 2011 को अनुमत झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT-2010
AN
ACT

To amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Sixty First year of the Republic of India as follow :-

1. Short title, Extent and Commencement :

(i) This Act may called the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Act, 2010

(ii) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4 of Jharkhand Act, 9 of 2001:

In Section 4 of Jharkhand Contingency Fund Act, 2001, the following provision shall be inserted, namely :-

'Provided that during the period beginning on the date of commencement of the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Act, 2010 and ending on the 31st day of March, 2011, this section shall have effect subject to the modification that for the words "One hundred and fifty crore rupees", the words "Seven hundred and fifty crore rupees" shall be substituted.

3. Repeal and Saving :

(i) Repeal :- The Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(ii) Saving :- Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken in the exercise of power conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of powers conferred by or under this Act, as if, this Act was in force on the day on which such thing was done or action taken.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
पंकज श्रीवास्त,
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

——————

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 149––300+350 ।

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान–सभा

———————

झारखण्ड आकस्मिकता निधि

अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा पारित)
[झारखण्ड अधिनियम 9/2001]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित
2001

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा पारित)

विषय–सूची

धाराएँ :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. निर्वाचन ।

3. झारखण्ड आकस्मिकता निधि की स्थापना ।

4. झारखण्ड राज्य की संचित निधि से 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) की रकम की निकासी एवं झारखण्ड राज्य की आकस्मिकता निधि में उसका जमा किया जाना ।

5. नियम बनाने की शक्तियाँ ।

6. निरसन एवं व्यावृति ।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा यथापारित)

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के द्वारा झारखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य के अप्रत्याषित व्ययों को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण हेतु अधिनियम ।

प्रस्तावनाः– चूँकि, केन्द्र सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत अलग झारखण्ड राज्य का गठन किया गया है ।

और, चूँकि, यह आवश्यक है कि झारखण्ड राज्य में एक आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था की जाए और उक्त निधि को झारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जाए, राज्य विधायिका द्वारा विधिवत् विनियोग प्राधिकृत होने तक, राज्य में होने वाले अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल द्वारा उक्त निधि से अग्रिम प्राधिकृत किया जा सकेगा,

और, चूँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड–2 के द्वारा रज्य की विधायिका को विधिवत् इस प्रकार की निधि के गठन की शक्ति प्रदान की गई है,

और, चूँकि, सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त झारखण्ड आकस्मिकता निधि का गठन जनहित में आवश्यक है,

और, चूँकि, झारखण्ड के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण झारखण्ड आकस्मिकता निधि का गठन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

इसलिए भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम हो :–

परिच्छेद

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–

(1) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. निर्वाचन–अब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

इस अधिनियम में निधि से तात्पर्य है धारा–3 के द्वारा स्थापित झारखण्ड आकस्मिकता निधि,

इस अधिनियम में 'राज्य सरकार' से तात्पर्य है, 'झारखण्ड राज्य सरकार' ।

परिच्छेद–II

3. झारखण्ड आकस्मिकता निधि की स्थापना :

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार झारखण्ड राज्य के लिए 'झारखण्ड आकस्मिकता निधि' नामक एक निधि की स्थापना करेगी जो झारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जायेगा ।

4. राज्य की संचित निधि से 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) की रकम की निकासी एवं झारखण्ड आकस्मिकता निधि में उसका जमा किया जाना –

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार झारखण्ड राज्य की संचित निधि से एक सौ पचास करोड़ रूपये की रकम की निकासी करेगी और इसे निधि में जमा कर देगी ।

5. नियम बनाने की शक्तियोंः– झारखण्ड राज्य सरकार विधि के अंतर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि नियमावली बना सकेगा ।

6. निरसन एवं व्यावृति ––(1) झारखण्ड आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2000 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या 1, 2000) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया था, की गई समझा जायेगा यानी यह अधिनियम इस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

यह विधेयक (झारखण्ड आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001) दिनांक 30 मार्च, 2001 के झारखण्ड विधान–सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 30 मार्च, 2001 की सभा द्वारा पारित हुआ । यह एक धन विधेयक है ।

इन्दर सिंह नामधारी,
अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

प्रभात कुमार,
राज्यपाल, झारखण्ड ।

सच्ची प्रतिलिपि
अगापित टोप्पो
सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची ।

––––––––––

झा०रा०मु०, राँची (वित्त) 6––200––17–5–2005––शनि मुण्डा ।